

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
विकास भवन, पटना

निलामी सूचना

उद्योग विभाग, बिहार, पटना में रखे पुराने/अनुपयोगी उपकरणों एवं अन्य सामग्रियाँ जो जिस अवस्था में हैं तथा जहाँ रखा है की स्थिति में सार्वजनिक निलामी दिनांक 17.12.2018 को 4:00 बजे अपराह्न विकास भवन के तृतीय तल पर अवस्थित उद्योग विभाग, बिहार, पटना के सभाकक्ष में किया जायेगा।

सार्वजनिक निलामी से बिक्री किये जाने वाले बेकार घोषित उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों की सूची निम्नवत है-

क्र०	सामग्री का नाम
1.	PLS लाईट सेट 2'x 2' (4 पीन ट्यूब)
2	PLS लाईट सेट 1'x 1' 4 पीन ट्यूब
3	PLS लाईट सेट 1'x 8' 2 पीन ट्यूब
4	कम्प्यूटर
5	मोनीटर
6	स्टेबलाइजर 4.K.V.A.
7	कुलर
8	फोटो स्टेट मशीन
9	प्रोजेक्टर स्क्रीन स्टैण्ड
10	पैडस्टल पंखा
11	दीवाल पंखा
12	यू0पी0एस0
13	शीशा फ्रेम सहित खिड़की का
14	मीटिंग का टेबल 12'x4'
15	आलमीरा गोदरेज 7'
16	आलमीरा गोदरेज 4'
17	कुर्सी लकड़ी का
18	कुर्सी लोहे का
19	कुर्सी घुमावदार
20	वाटनट लकड़ी का
21	सोफा लकड़ी का (तीन सेट/दो सेट)
22	स्टील बक्सा
23	उडेन रेक
24	लोहे का बुक सेल्फ 7'
25	लोहे का रेक
26	प्लास्टिक कुर्सी
27	टेबुल लकड़ी का 2'x4'
28	शीशा का बड़ा टेबल
29	स्टील का बेंच
30	प्रिंटर
31	डक्ट ए0सी0

निलामी हेतु शर्तें निम्नवत हैं:-

- (क) निलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति को अपना पहचान पत्र एवं आयकर रिटर्न की छायाप्रति कोटेशन के साथ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में पटना में देय 2000/- (दो हजार) रूपया का बैंक ड्रॉपट (सुरक्षित राशि के रूप में) के साथ दिनांक 17.12.2018 को अपराहन 3:00 बजे तक अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-04(स0) उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पास जमा करना होगा।
- (ख) निलामी द्वारा बिक्री किये जाने वाले बेकार घोषित उपस्करों एवं अन्य सामग्रियों की सूची में कमी या वृद्धि हो सकती है।
- (ग) निलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति बंद लिफाफे में अपना कोटेशन समर्पित करेंगे।
- (घ) निलामी के उपरान्त बेकार उपस्करों एवं अन्य सामग्रियों को निलामी स्थल से ले जाने वाला व्यय सफल उमीदवार को स्वयं वहन करना होगा।
- (ङ) सुरक्षित राशि का बैंक ड्रॉपट अवर सचिव प्रभारी प्रशाखा-04(स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना से आदेश प्राप्त कर वापस किया जायेगा।
- (च) अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी समय निलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- (छ) निलामी में भाग लेने का इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में 11:00 बजे पूर्वाहन से 4:00 बजे अपराहन तक अवर सचिव प्रभारी प्रशाखा-04(स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचना देकर बेकार उपस्करों एवं अन्य सामग्रियों का अवलोकन कर सकते हैं।

ज्ञापांक

5346

04/उ0वि0 (स0) विधि-02/17

प्रतिलिपि:-आर0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस निलामी सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।

ह0/-

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

/पटना दिनांक

28-11-18

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

28/11/18